न्यायालय : सिविल न्यायाधीश–सांचौर,जिला–जालोर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : विजय प्रताप गोस्वामी, आर.जे.एस.

दीवानी मूल प्रकरण संख्या : **03/2018 (C.I.S. No.- 2/2018)**

––

1. जोईताराम पुत्र मालाराम,
2. खंगाराराम पुत्र मालाराम,
3. रघुनाथराम पुत्र मालाराम,
4. कृष्णराम पुत्र मालाराम, जातियान रेबारी, निवासीगण मेड़ाजागीर, तह. सांचौर, जिला–जालोर।

.....वादीगण

बनाम

1. उम्मेदाराम पुत्र लाखाराम, जाति रेबारी, निवासी मेड़ा जागीर, तह. सांचौर, जिला–जालोर।
2. हर एवं आम खास जनता।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत् मृत्यु की घोषणा करने बाबत्।

उपस्थित–

(01) श्री ओमप्रकाश सुथार, विद्वान अधिवक्ता, वादीगण की ओर से।
(02) श्री ओमप्रकाश विश्नोई, विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी सं0 01 की ओर से।

निर्णय

दिनांक : दिसम्बर 01, 2018

01. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने मृत्यु की घोषणा कराने बाबत् एक दावा इस आशय का पेश किया है कि वादीगण सभी भाई है, जिनका वाद पत्र में समान हित होने से एक–दूसरे की पैरोकारी मंजूर है। वादीगण के पिता मालाराम पुत्र लाखाराम, जाति रेबारी, निवासी मेड़ा जागीर थे, जो मूल रूप से मेड़ा जागीर में ही निवास करते थे, जो वर्तमान में गुम हो चुके हैं, वादीगण की माता की मृत्यु हो चुकी है, वादीगण के पिता दिनांक 01.04.2006 को सवेरे आठ बजे के आस–पास ढाणी से गांव में दूध देने गये थे, तब से आज दिनांक तक वापस नहीं लौटे हैं, इधर–उधर रिश्तेदारों के यहां खोजबीन करने से भी कोई समाचार नहीं मिले, इसी कारण वादी जोईताराम ने पुलिस थाना सांचौर में दिनांक 21.04.2006 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके पश्चात् आज दिनांक तक उनके कोई जीवित होने की सूचना नहीं मिली, उनके घर से

निकल जाने के बाद गायब हुये करीब सात साल से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, इस संबंध में दैनिक भास्कर में भी गायब होने की खबर प्रकाशित की गई थी, लेकिन उनके पिता के जीवित होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, हाड़ेतर में वादीगण की पुश्तैनी जमीन है, मालाराम के गायब होने पर उनकी जगह वादीगण का नाम दर्ज नहीं करने से भूमि में दर्ज कराने हेतु मृत्यु घोषणा की आवश्यकता होने से दावे का वाद कारण उत्पन्न हुआ है, वादीगण के पिता मालाराम की मृत्यु की घोषणा होने की डिक्री जारी की जावें। वादी कृष्णाराम ने अपने कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है।

02. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से यह जवाब प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण के पिता मालाराम के दिनांक 01.04.2006 को घर से निकलने के बाद वादीगण व प्रतिवादी व अन्य ने न तो उनकी शक्ल देखी न ही उनकी कोई सूचना उन्हें मिली कि मालाराम जीवित है और न ही उसने मालाराम के जीवित होने की कोई खबर सुनी।

03. वादीगण द्वारा यह वाद हर एवं आम खास जनता के विरूद्ध पेश किये जाने पर पक्षकार बनने हेतु अखबार के माध्यम से सूचना जारी की गई, लेकिन कोई भी व्यक्ति हस्तगत मामले में पक्षकार नहीं बना।

04. उभय पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित विवाधक की विरचना की गयी :–

(01) आये वादीगण जोईताराम वगैरह उनके पिता मालाराम पुत्र लाखाराम, जाति रेबारी निवासी मेड़ा जागीर, तह. सांचौर, जिला–जालोर की मृत्यु की घोषणा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है ? (जिम्मे–वादीगण)

(02) अनुतोष ?

05. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किये कि वादीगण के पिता करीब 11 साल से गायब है, किसी भी व्यक्ति ने उनके बारे में नहीं सुना है, वादीगण के पिता के नाम काफी जमीन होने से वह जमीन अब वादीगण के नाम नहीं हो पा रही है, इसलिये वादीगण के पिता मालाराम की मृत्यु की घोषणा की डिक्री पारित की जावें।

06. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कथन किये कि उसने भी वादीगण के पिता के जीवित होने की कोई खबर नहीं सुनी है।

07. बहस अन्तिम सुनी गई, पत्रावली का अध्ययन किया गया। विवाधक पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

विवाद्यक संख्या 01

08. विवाद्यक संख्या 01 को साबित करने का भार वादीगण पर था। जोईताराम पी.डब्ल्यू. 1 वादीगण की ओर से उपस्थित आया है और इस गवाह ने सशपथ कथन किये हैं कि वादीगण के पिता मालाराम दिनांक 01.04.2006 को आसपास ढाणी से गांव में दूध देने गये थे, तब से आज दिनांक तक वापस नहीं लौटे हैं, उसके पिताजी मनुष्य व पशुओं के कई रोगों के जानकार थे, हड्डी टूटी–फूटी होती तो उसकी पट्टी भी करते थे, जिस कारण वे हमेशा इधर–उधर जाया करते थे, परन्तु कोई समाचार नहीं मिलने पर उनके द्वारा रिश्तेदारों के यहां खोजबीन की गई, पुलिस थाना सांचौर में दिनांक 21.04.2006 को गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, इसके पश्चात् भी उनके पिता के जीवित होने की कोई खबर नहीं मिली। वादीगण के पिता की जमीन वादीगण के नाम नहीं हो पा रही है, इस कारण मृत्यु की घोषणा की डिक्री पारित की जावें। प्रतिवादी की ओर से इस गवाह से कोई जिरह नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में इस गवाह द्वारा दिये गये कथन अखण्डनीय रहे हैं। प्रदर्श 3 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी जोईताराम द्वारा उसके पिता मालाराम के गुम होने की रिपोर्ट पुलिस थाना सांचौर में दिनांक 21.04.2006 को दर्ज करवाई है। प्रदर्श 4 के अवलोकन से दर्शित होता है कि अखबार में भी यह सूचना दी थी कि मालाराम 22 दिन से गायब है, गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज होने के पश्चात् आज दिनांक तक करीब 12 साल बीतने को है, न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य इस स्तर पर नहीं आई जो कि यह दर्शित करती हो कि किसी व्यक्ति ने मालाराम के जीवित होने का सुना हो। फलतः वादीगण के पिता मालाराम की मृत्यु होने की घोषणा किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। वादीगण विवाद्यक संख्या 1 को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं।

फलतः उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर विवाद्यक सं. 01 वादीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(02) अनुतोष –

09. चूंकि विवाद्यक सं. 01 प्रकरण का मुख्य विवाद्यक होकर उसे साबित करने का भार वादीगण पर था जो वादीगण के पक्ष में निर्णित हुआ है। वादीगण हस्तगत

मामले में उनके पिता मालाराम पुत्र लाखाराम की मृत्यु की घोषणा करवाने के अधिकारी है। फलतः वादीगण का वाद स्वीकार होने योग्य पाया जाता है।

आदेश

10. परिणामस्वरूप वादीगण जोईताराम वगैरह का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण उम्मेदाराम व हर एवं आम खास जनता के मालाराम की मृत्यु की घोषणा कराने का स्वीकार किया जाता है। वादीगण के पिता मालाराम पुत्र लाखाराम, जाति रेबारी, निवासी मेड़ा जागीर की मृत्यु होने की घोषणा की जाती है, उक्त घोषणा के आधार पर वादीगण संबंधित विभाग से मालाराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। वादीगण खर्चा वाद–पत्र पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

(विजय प्रताप गोस्वामी)
सिविल न्यायाधीश,सॉचौर
जिला–जालोर।

11. निर्णय आज दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में बाद हस्ताक्षरित एवं मुद्राकंन सुनाया गया।

(विजय प्रताप गोस्वामी)
सिविल न्यायाधीश,सॉचौर
जिला–जालोर।